न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32 / 2024

अनवान : –

1. सरजीत पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. जीताराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मलकीत पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बुलाराम पुत्र स्व मिठो पुत्री नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. कलवन्त सिंह 4. जगवार सिंह 5. सीमा देवी पुत्री व पुत्रीयान जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. जंगीरो पुत्री स्व0 नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. कश्मीर 8. बिन्द्र 9. कालुराम पुत्र व पुत्रीयान स्व0 बीबा पुत्री नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. छिन्द्र 11. बिन्द्र 12. सेवाराम 13. कालुराम 14. लखवीर 15. लखविन्द्र 16. पनी पुत्र व पुत्रीयान परमजीत पुत्री स्व0 नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 173 / 78 के प.न. 328 / 409 मु.न. 42 के किला नं. 6 / 1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, किला नं. 6 / 2 की 0.2270 हैक्टर भूमि किला नं. 7–8 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 329 / 409 मु.न 41 के किला नं. 9–10 की 0.5060 हैक्टर भूमि कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके नूराराम पुत्र बटुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

वादीगण के पिता नूराराम पुत्र बटुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर दिनांक 11 / 01 / 2022 को फौत हो चुके है तथा उनके बाद एक लड़का पृथ्वीराम व उनकी तीन पुत्रीयान मिठो, बिबा व परमजीत फौत हो चुकी है तथा उनके वारिसान को उनकी जगह कायम मुकाम बनाया गया है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में मृतक की जगह उनके विधिक उतराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 6 प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 प्रतिवादीगण सं. 10 ता 16 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 के पक्ष में पारिवारिक सदस्य है तथा जो कि अपने परिवार से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. [illegible] 3 व 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादीगण की बहिन का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं. 2 ने भी अपना हक व हिस्सा परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा [illegible] तहसील नोहर के खाता सं. 173 / 78 की कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक [illegible] / 4, 1 / 4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 अकेले 1 / 4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. 1 / [illegible] हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय अर्जीदावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 16 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण नूराराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम के नाम दर्ज है वादीगण के पिता नूराराम पुत्र बटुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर दिनांक 11/01/2022 को फौत हो चुके है तथा उनके बाद एक लड़का पृथ्वीराम व उनकी तीन पुत्रीयान मिठो, बिबा व परमजीत फौत हो चुकी है तथा उनके वारिसान को उनकी जगह कायम मुकाम बनाया गया है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में मृतक की जगह उनके विधिक उतराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 6 प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 प्रतिवादीगण सं. 10 ता 16 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 के पक्ष में पारिवारिक सदस्य है तथा जो कि अपने परिवार से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3, 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादीगण की बहिन का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं. 2 ने भी अपना हक व हिस्सा परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 173/78 की कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 अकेले 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 जे. एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 173/78 के प.न. 328/409 मु.न. 42 के किला नं. 6/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, किला नं. 6/2 की 0.2270 हैक्टर भूमि किला नं. 7–8 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 329/409 मु.न. 41 के किला नं. 9–10 की 0.5060 हैक्टर भूमि कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि नूराराम पुत्र बटूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि नूराराम पुत्र बटूराम का देहान्त हो चुका है तथा उनके बाद एक लड़का पृथ्वीराम व उनकी तीन पुत्रीयान मिठो, बिबा व परमजीत फौत हो चुकी है तथा उनके वारिसान को उनकी जगह कायम मुकाम बनाया गया है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में मृतक की जगह उनके विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उतराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 6 प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 प्रतिवादीगण सं. 10 ता 16 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 के पक्ष में पारिवारिक सदस्य है तथा जो कि अपने परिवार से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3, 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादीगण की बहिन का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं. 2 ने भी अपना हक व हिस्सा परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 173/78 की कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 अकेले 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है ,वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा नूराराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 173/78 की कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 अकेले 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2024

अनवान : –

1. सरजीत पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. जीताराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. मलकीत पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बुलाराम पुत्र स्व मिठो पुत्री नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. कलवन्त सिंह 4. जगवार सिंह 5. सीमा देवी पुत्री व पुत्रीयान जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. जंगीरो पुत्री स्व0 नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. कश्मीर 8. बिन्द्र 9. कालुराम पुत्र व पुत्रीयान स्व0 बीबा पुत्री नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. छिन्द्र 11. बिन्द्र 12. सेवाराम 13. कालुराम 14. लखवीर 15. लखविन्द्र 16. पनी पुत्र व पुत्रीयान परमजीत पुत्री स्व0 नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 32 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 173/78 की कुल 6 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 अकेले 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 व 4 ब.हि.ब. 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर